संख्या-2/2015/3415/71-1-2014-जी-200/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 05 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए क्रय किये जाने वाले उपकरणों के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2014/787, दिनॉक 24-11-2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के लिए विभिन्न शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत की गयी कुल धनराशि रू0 1,47,42,60,000/- (रू0 एक अरब सैतालिस करोड़ बयालिस लाख साठ हजार मात्र) में से रू0 1,41,29,90,000/- (रू0 एक अरब इकतालिस करोड़ उन्नतीस लाख नब्बे हजार मात्र), जो शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा वित्त अधिकारी सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित की गयी है, में से रू0 5,81,23,316/- (रू0 पॉच करोड़ इक्यासी लाख तेइस हजार तीन सौ सोलह मात्र) को संलग्न विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानाचार्यो द्वारा उपकरणों के क्रय के संबंध में समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सम्पूर्ण भुगतान की धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी0 संख्या-ई-3-2627/दस-2014, दिनॉक 31 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-2/2015/3415(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों को स्वीकृत की गयी धनराशि में से वित्त अधिकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 1,41,29,90,000/- में से आहरित कर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 5,81,23,316/- का विवरण:-

---

क्र0	मेडिकल कालेज/संस्थान का नाम	उपकरणों हेतु गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेश/दिनॉक	उपकरणों के सीधे क्रय की अनुमति दिये जाने वाली धनराशि जिसे पी0एल0ए0 से आहरित किया जाना है।
1-	मेडिकल कालेज, कानपुर	शासनादेश संख्या-1272/71-1-2013-जी-200/2013 दिनॉक 02-07-2013 धनराशि रू0 350.00 लाख	रू0 1,96,61,425.00
2-	मेडिकल कालेज, कानपुर के न्यूरोलॉजी विभाग हेतु	शासनादेश संख्या-1317/71-1-2013-जी-161/2013 दिनॉक 27-07-2013 धनराशि रू0 100.00 लाख	रू0 16,27,500.00
3-	मेडिकल कालेज, मेरठ	शासनादेश संख्या-1272/71-1-2013-जी-200/2013 दिनॉक 02-07-2013 धनराशि रू0 350.00 लाख	रू0 88,12,696.00
4-	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	शासनादेश संख्या-1272/71-1-2013-जी-200/2013 दिनॉक 02-07-2013 धनराशि रू0 350.00 लाख	रू0 1,08,79,080.00
5-	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	शासनादेश संख्या-1272/71-1-2013-जी-200/2013 दिनॉक 02-07-2013 धनराशि रू0 350.00 लाख	रू0 1,71,42,615.00
		कुल योग:-	रू0 5,81,23,316.00

(रू0 पॉच करोड़ इक्यासी लाख तेईस हजार तीन सौ सोलह मात्र)

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in